महत्वपूर्ण/मा0 मंत्री जी के आदेश
संख्याः 294 /अड़तीस–5–2017–6सम/2017

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक,राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 08 अप्रैल, 2017

विषयः– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–279/अड़तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक 05 मार्च, 2017 के बिन्दु–(1) की अन्तिम पंक्ति में उल्लिखित **"यथावश्यक"** के स्थान पर **"अनिवार्यतः"** शब्द पढ़ा जाय। इस सीमा तक पत्र संख्या–279/अड़तीस–5–17–6सम/17 दिनांक 05 मार्च, 2017 को संशोधित समझा जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति/ बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था की समीक्षा हेतु दिनांक 03.04.2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न कार्यवृत्त में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार अपने–अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नकः यथोक्त।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या–294 (1)/अड़तीस–5–2017, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

D:\2017\SO\GO-2017.docx

डा0 महेन्द्र सिंह, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.2017 को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति /बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पेयजल समस्या की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1. श्री दीपक त्रिवेदी, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास विभाग एवं अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. श्री जी0पी0 शुक्ला, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
4. श्री आर0एम0 त्रिपाठी, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. श्री महेश चन्द्र पाण्डेय, वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. श्री एम0एन0 झा, अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।

बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की समीक्षा के दौरान यह अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्राविधानित / अवशेष रू0 47.36 करोड़ की धनराशि वर्ष 2017–18 में उपयोग हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के पी0एल0ए0 में रखी गयी है। उक्त रू0 47.36 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु कार्ययोजना का कियान्वयन किया जायेगा। बैठक में समीक्षा के उपरान्त निम्नवत कार्यवाही के निर्देश दिये गये:–

1. बुन्देलखण्ड के समस्त 07 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर स्थानीय आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय मा0 विधायकगण की संस्तुति के आधार पर प्रभावित स्थानों पर नये इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्प लगाये जांय तथा स्थाई रूप से खराब/सूखे हैण्डपम्प शीर्ष प्राथमिकता पर रिबोर कराये जांय। तद्नुसार प्रस्तावित कार्ययोजना में सम्मिलित नये व रिबोर हैण्डपम्पों की जनपदवार/ विधान सभावार/विकास खण्डवार/पंचायतवार सूची भी उपलब्ध करायी जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रत्येक मा0 सदस्य विधान सभा/ विधान परिषद की संस्तुति पर लगाये जाने हेतु निर्देशित 100 नये एवं 100 रिबोर हैण्डपम्पों में से चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में अवशेष बचे नये व रिबोर हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन/ रिबोर स्थानीय मा0 विधायकों की संस्तुति अनिवार्यतः प्राप्त करके सूची का अनुमोदन जिला प्रशासन से कराने के उपरान्त अविलम्ब कराया जाय।
2. बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2016–17 में लगाये गये नये हैण्डपम्पों तथा रिबोर किये गये हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त सभी नये/रिबोर हैण्डपम्प चालू स्थिति में अर्थात जलापूर्ति की स्थिति में हैं। यदि कोई नया/रिबोर हैण्डपम्प बन्द/ खराब है तो उसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/संस्था से बन्द/खराब हैण्डपम्पों को दिनांक 20 अप्रैल, 2017 तक ठीक/रिबोर कराकर जलापूर्ति हेतु चालू करा दिया जाय।
3. बुन्देलखण्ड क्षेत्र सहित प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2016–17 में अधिष्ठापित किये गये नये हैण्डपम्पों एवं रिबोर किये गये हैण्डपम्पों तथा अवशेष नये व रिबोर हैण्डपम्पों की

जनपदवार/विधान सभावार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर तुरन्त उपलब्ध करायी जाय।

4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विगत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लगाये गये 200 सोलर आधारित पेयजल टंकियों की स्थलवार/जनपदवार/ विधान सभावार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार सूची उपलब्ध करायी जाय जिसमें उक्त समस्त 200 टंकियों से पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति (बन्द/चालू) का सुस्पष्ट विवरण दिया गया हो।
5. प्रदेश में अब तक स्थापित समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों की अद्यतन स्थिति (चालू/बन्द) सहित जनपदवार/विधान सभावार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर उपलब्ध करायी जाय तथा बन्द/खराब समस्त हैण्डपम्पों एवं पेयजल योजनाओं को ठीक कराया जाय।
6. जनपद–प्रतापगढ़ में विगत 05 वर्षो में स्थापित समस्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं एवं हैण्डपम्पों की अद्यतन स्थिति (चालू/बन्द) सहित जनपदवार/ विधान सभावार/विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार सूची तैयार कर दिनांक 08.04.2017 तक उपलब्ध करायी जाय।
7. बुन्देलखण्ड के पेयजल की गम्भीर समस्या वाले क्षेत्रों/डार्क जोन/विकास खण्डों में तत्काल राहत पहुँचाने के उद्देश्य से टैंकरों के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय एवं पेयजल की समस्या के दृष्टिगत त्वरित कार्यवाही हेतु टैंकर्स को मुख्यालय से ब्लाकों में तत्काल भेज दिया जाय। टैंकरों में पेयजल कहाँ से भरा जायेगा, इसकी प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल समस्या के त्वरित निदान हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध टैंकरों के माध्यम से उपर्युक्तानुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जाय, ताकि जनता को यह ज्ञात हो सके कि पेयजल की समस्या होने पर उन्हें टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जायेगी।
8. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त 07 जनपदों सहित प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित/संचालित पाइप पेयजल योजनाओं को आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी अवश्य देख लिया जाय कि जिन पाइप लाइनों की मरम्मत प्रस्तावित है, उनसे सम्बन्धित पेयजल योजनाओं की टंकियां चालू हैं अथवा नहीं? ग्रामीण पेयजल योजनाओं की टंकियों से लाभान्वित होने वाले तहसील/ब्लाक/ग्राम की सूची एवं विवरण भी दिये जांय।
9. बुन्देलखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु बैठक में दिये गये निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सर्वेक्षण कराते हुए औचित्यपरक एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार कराकर 03 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्ययोजना में प्रस्तावित नये/रिबोर हैण्डपम्पों में वर्ष 2016–17 में अधिष्ठापित/रिबोर किये गये हैण्डपम्प सम्मिलित न हों। पेयजल टंकियों एवं पाइप लाइनों के मरम्मत की कार्ययोजना में उक्त पेयजल योजना/टंकी के निर्माण की तिथि तथा कार्यकाल का विवरण देते हुए मरम्मत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका औचित्यपूर्ण कारण भी संक्षेप में दिया जाय। बैठक में जनपद–बांदा की 05 नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य दिनांक 25 अप्रैल, 2017 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश भी उ0प्र0 जल निगम को दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि कार्ययोजना के सभी कार्य दिनांक 10 मई, 2017 तक पूर्ण करा लिये जांय जिससे बुन्देलखण्ड की ग्रामीण आबादी को ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

10. बुन्देलखण्ड जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश के अन्य जनपदों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों एवं गंगा के तटीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले पेयजल संकट के तात्कालिक समाधान हेतु नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन व रिबोर सहित टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जांय तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्ययोजना/प्रस्ताव भी तैयार कराकर तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
11. बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित समस्त खराब/मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों के मरम्मत की कार्यवाही पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करके पूर्ण कराया जाय।
12. बैठंक में यह भी निर्देश दिये गये कि मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में पूर्व में सम्पन्न बैठकों तथा इस बैठक के निर्देशों को समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी को भी प्रसारित कर दिया जाय।

(कार्यवाही– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम/ ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन /एस0डब्लू0एस0एम0)

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन,
ग्राम्य विकास विभाग,
संख्याः 277/अड़तीस–5–2017–06सम/2017
लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव/ स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग/ ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
8. गार्ड फाइल।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव